न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

उनवान – विजयसिंह बनाम भंवर सिंह

किस्म मुकदमा –प्रार्थना–पत्र 212 मुकदमा नं 134 वर्ष 2012

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18.04.22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख0नं0 233/2 रकबा 0.56 है0 ख0नं0 233/3 रकबा 0.25 है0 वाके तन त्रिलोकपुरा तहसील दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित है। जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 की संयुक्त पैतृिक सम्पत्ति है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का सजरा खानदान आवेदन पत्र की मद सं0 2 अनुसार है। उक्त आराजी के प्रार्थी व अप्रार्थी का 1/4,1/4 हिस्सा संयुक्त रूप से है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज है। उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की अविभाजित संयुक्त परिवार की पैतृिक भूमि है। उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगणगण संयुक्त काबिज काश्त नहीं होने के बावजूद भी उक्त आराजी की खातेदारी कर्ता खानदान होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 के नाम चली आ रही है, जिससे प्रार्थी के हितों पर गलत प्रभाव पड़ता है इसलिए रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है। उक्त आराजी की खातेदारी अकेले प्रार्थी सं0 1 के नाम होने से उक्त गलत खातेदारी की आड़ में उक्त आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय करना चाहता है। अतः अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजियात के किसी भी हिस्से को विक्रय करने, रहन रखने, अन्यत्र स्थानान्तरित करने से बाज रहे। न्यायालय हाजा में प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को उपस्थित होने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जवाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि मद सं0 1 गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 2 भी गलत होने से अस्वीकार है। प्रश्नगत भूमियां अप्रार्थी सं0 1 की स्वअर्जित भूमियां है, जिससे प्रार्थी का कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रार्थी ने गलत रूप से आवेदन में प्रश्नगत भूमियों को पैतृक बताकर गलत दावा पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। ख0नं0 233/3 पंजीकृत विनिमय डीड द्वारा अप्रार्थी सं0 4 के नाम गई है, विनिमय डीड को चुनौति दिये बिना पेश किया गया। है। कृषि भूमि ख0नं0 233/2, 233/3 के मूल ख0नं0 233 है, जिसके पुराने ख0नं0 154 रकबा 2 बीघा 13 बिस्सा है, जो अप्रार्थी की स्वअर्जित है,उसे आवंटन से ना0क0सं0 74 दिनांक 10.04.1968 से	

सहायक कलक्टर(मु॰)सीकर

अप्रार्थी को प्राप्त हुई है। मद सं0 3 प्रार्थी स्वंय साबित करे। अप्रार्थी सं0 1 की धर्म पत्नी जीवित है, जो अप्रार्थी सं0 1 के सजरा खानदान में है, जिसे नहीं दर्शाया गया है ना ही पक्षकार बनाया गया है। इस कारण आवेदन खारिज होने योग्य है। मद सं0 4 से 7 गलत होने से अस्वीकार है। वादी/प्रार्थी का न तो कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी ने खिलाफ तथ्यों व खिलाफ कानून यह आवेदन पेश किया है। इस कारण उसे अपूर्णीय क्षति भी होने की संभावना नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 द्वारा जवाब आवेदन पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

बहस उभय पक्ष एंव अप्रार्थी सं0 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भूमियां ख0नं0 233/2, 233/3 जिसके मूल ख0नं0 233 है, जिसके पुराने ख0नं0 154 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमियां है, जिसे प्रार्थी पैतृक संपत्ति बताकर आये है। परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिससे विवादित भूमियां पैतृक भूमियां साबित हो। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद बाबत इस्तकरार हुक्म इम्तनाई दवामी व इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया हुआ है। वाद में जवाब दावा भी पेश हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण वाद में तनकी बनाकर साक्ष्य/सबूत के आधार पर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना है। प्रकरण में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद कार्यवाही मूल वाद के संलग्न हो।

सहायक कलक्टर (मु0)
सीकर

निर्णय आज दिनांक 18.04.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)
सीकर